

05/3/2021

~~पत्रावली~~

2017
00155

पत्रावली बेशक हुई। अखिलेश्वर चारीगाव एवं
 पेशेकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण की
 ओर से अखिलेश्वर बगदीराम शर्मा के
 वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल
 किया जावे। तहसील से जरूर पत्रांक राजस्थान
 2020/754 रिकॉर्ड 26/6/2020 से प्राप्त विभागत
 प्रस्ताव रेफाई पर लिए जा रहे हैं। प्राप्त विभागत
 प्रस्ताव पर बहल अखिलेश्वर उभय पक्ष हुनी
 गयी। चारीगाव का वार का विभागत का कानिमा
 डिप्टी किया गया, का निर्देश प्रथम से निरवाया
 जाकर सुनने पत्रावली किया गया निर्दिष्टानुसार
 डिप्टी जारी है। पत्रावली फलल शुभा होकर
 नम्बर से कम है।

(राम सुन्दर विश्वादी)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी



30 APR 2021
 जिला प्रशासन (सुभा) जिला मुख्यालय

निर्णय आयालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पौडानीन अधिकारी: श्याम सुन्दर विश्णोई आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या: 188/2017 वाड (2017/00155)

अनवाग

- 1- हरजूबाई पत्नी रतनगिरी जी गुसाई निवासी लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 2- जमनाबाई पत्नी शिवगिरी जी गुसाई निवासी लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- वारीगण

बगमि

- 1- देवीलाल पिता स्व. रतनलाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 2- शान्ति लाल पिता स्व. रतनलाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 3- सोहनलाल पिता स्व. रतनलाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 4- मांगीबाई पुत्री स्व. रतनलाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 5- अगवतीबाई पत्नी स्व. रतनलाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 6- देउबाई पत्नी अँल्लाल जी धाकड नि० लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 7- नैन पुत्री अँल्लाल धाकड नाबालिग जरिये वकलायत माता श्रीमती देउबाई पत्नी अँल्लाल जी धाकड निवासी लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 8- किशनलाल पिता अँल्लाल धाकड नाबालिग वकलायत माता श्रीमती देउबाई पत्नी अँल्लाल जी धाकड निवासी लेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 - 9- भूमिध्वारी जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़
- प्रतिवादीगण

कार्यवाही: अज्ञेगत धारा 53 एवं 209 राज० दिनेन्सी एक्ट 1955
 उपस्थिति: 1- श्री चन्द्रशेखर जोशी अखिवक्ता वारीगण
 2- श्री बगदीराम धाकड अखिवक्ता प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक 05/3/2021

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वारीगण ने वाद पत्र अज्ञेगत धारा 53 एवं 209 राज० दिनेन्सी एक्ट के तहत विन्डू प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वारीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शपथपत्री एवं कब्जे कायत की शर्षि आराजीघात ग्राम लेमलपुरा घखार हल्का लेमलपुरा की खाता संख्या 364 में अंकित आराजी नामक

(श्याम सुन्दर विश्णोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

276, 279, 1728/283 कीता 3 रकबा 1.55 हे. तथा श्वाता संख्या 363 में अंकित आराजी संख्या 272, 273 कीता 2 रकबा 1.11 हे 1/3 एक हिस्सा दर्ज अप्रकृत है, जिसमें वारीगण का सम्पुर्ण रूप से 1/3 एक हिस्सा दर्ज है एवं शेष हिस्सा प्रतिवारीगण का सम्पुर्ण रूप से जो रेकार्ड है, उसी अनुसार वारीगण व प्रतिवारीगण के मध्य कुषि भूमि का कट्टे को ध्यान में रखते हुए मिट्टा एंड वाउण्डस बटेवाडा कराया जाकर श्वाता अलग-अलग कर लगानी की फारती अलग-अलग किये जाने की डिक्ली प्रदाण किए जाने की इशतुआ कि की

तार सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को वारीगण का वार पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्लीकिया गया कि ग्राम सेमलपुरा के श्वाता संख्या 364 में अंकित आराजी कीता 3 (तीन) रकबा 1.55 हे. एवं श्वाता संख्या 363 में अंकित आराजी कीता 2 रकबा 1.11 हे. एवं श्वाता संख्या 363 में अंकित आराजी कीता 2 रकबा 1.11 हे. 1/3 निहित हिस्सा विभाजन से अलग कर, शेष हिस्सा प्रतिवारीगण के रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राथमिक डिक्ली की पालना से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहल अवधिबद्धता उभय पक्ष सुनी गयी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से उभय पक्ष सहमत हैं तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्ली के अंगुब्ज होने से, हल्क विभाजन प्रस्ताव वारीगण वार पत्र विभाजन का निम्नानुसार अंतिम डिक्ली किया जाता है -

क्र.सं	नाम स्वतेंदार	आ.नं.	रकबा	किसत	लगाव
1-	श्रीमती हरजूबाई पत्नी रतनगिरी	272	0.0766	चाही I	2.68
	श्रीमती जसनासाई पत्नी शिवगिरी	273	0.25	बीड	0.6200
	गुसाई ल. देह स्वतेंदार	276	0.56	चाही 2	14.00
	कीता	3	0.8866		17.30



2
 (श्याम सुन्दर विश्वाई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र.सं.	नाम स्वतंत्र	डॉ.नं.	रकब	किस	मात्र
2.	देवीलाल, शंतीलाल, सोहनलाल, मांगीबाई	272मी.	0.7834	चाही1	21.42
	पिता रतनलाल भगवतीबाई पत्नी	279	0.42	चाही2	10.50
	रतनलाल $\frac{13300}{1734}$ श्रीमती देऊबाई पत्नी	$\frac{1728}{283}$	0.57	बीड	1.43
	मैजलाल सुशी नैना, किशनलाल पिता मैरनगाल मा. बा. सरसिका माता श्रीमती देऊबाई पत्नी मैजलाल $\frac{1434}{1734}$ धामंड सा. दे. स्वतंत्र				
	रहन : मानपुरा 655 लि. मानपुरा हिस्सा रतन एवे रतन के वारिसान पर रहन : मानपुरा 655 मानपुरा हिस्सा देऊबाई पर				
	कीता	3	1.7734		39.35

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में समुलदरामर किच जावे विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राफ नमूना ट्रेस डिप्टी का पारि रहेगा

निर्णय लिखाया जाकर से इजलाल सुनाया गया



(श्याम सुन्दर विश्वा)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

1. हरजूबाई पत्नी रतनगिरि गुसाई निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 2. जमनाबाई पत्नी शिवगिरी गुसाई निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- वादी

बनाम

1. देवीलाल पिता स्व. रतनलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 2. शांतिलाल पिता स्व. रतनलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 3. सोहनलाल पिता स्व. रतनलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 4. मांगीबाई पुत्री स्व. रतनलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 5. भगवतीबाई पत्नी स्व. रतनलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 6. देउबाई पत्नी भैरूलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 7. नैना पुत्री भैरूलाल धाकड़ नाबालिग जरिये बवलायत माता श्रीमती देउबाई पत्नी भैरूलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 8. किशनलाल पिता भैरूलाल धाकड़ नाबालिग बवलायत माता श्रीमती देउबाई पत्नी भैरूलाल धाकड़ निवासी सेमलपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 9. भूमिधारी जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़
- प्रतिवादी

प्र.स. 188/2017 (GCMS 2017/00155)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील 1. श्री चन्द्रशेखर जोशी की, और प्रतिवादी की ओर से वकील 1. श्री बगदीराम धाकड़ की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव बाबत ग्राम सेमलपुरा पटवार हल्का सेमलपुरा के खाता संख्या 364, 363, में वर्णित आराजीयात का निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव का अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्रीमती हरजूबाई	272/1	0.0766	चाही 1	2.68
	पत्नी रतनगिरी	273	0.25	बीड	0.6200
	श्रीमती जमनाबाई	276	0.56	चाही 2	14.00
	पत्नी शिवगिरी गुसाई सा.देह				
	खातेदार				17.30
	कीता	3	0.8866		



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम खातेदार	आ.नं.	रकबा	किस्म	लगान
देवीलाल, शांतिलाल, सोहनलाल, मांगीबाई पिता रतनलाल भगवतीबाई पत्नी रतनलाल 13300 / 17734 श्रीमती देऊबाई पत्नी भैरूलाल सुश्री नैना, किशनलाल पिता भैरूलाल ना.बा. संरक्षिका माता श्रीमती देऊबाई पत्नी भैरूलाल 4434 / 17734 धाकड सा. देह खातेदार रहन : मानपुरा GSS लि. मानपुरा हिस्सा रतन एवं रतन के वारिसान पर रहन : मानपुरा GSS मानपुरा हिस्सा देऊबाई पर	272 / 1 273 276	0.0766 0.25 0.56	चाही 1 बीड चाही 2	2.68 0.6200 14.00
कीता	3	1.7734		39.35


उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न.शा.देस
 गा.स. - सेमरपुरा तहस. जिला - बिजौ 807
 एर. :- 2.8000 एवं 9800



नीचे - आयाजिक डिक्री SDO सा. के प्रकरण सं.
 188/2017 के साथ संलग्न है -

पञ्चायती
 सद.

22-06-2022
 अ. उ. निरीक्षण
 सेमरपुरा



शि. क. न. गा. व.
 स. व. स.



शि. ज. न. गा. व.
 स. व. स.



शि. ज. न. गा. व.
 स. व. स.

CP
 AW

तहसीलदार
 धितीदगाव